Subsidy against the expenditure paid by industrial units for obtaining certificate of Good Manufacturing Practices by WHO

गुणवत्ता प्रोत्साहन योजना (केवल औषधि एवं हर्बल उद्योगों के लिए)

01 जनवरी, 2004 से देश में सभी औषधि उद्योगों को शेड्यूल के अनुसार अपने उद्योगों मे अधोसंरचना तथा निर्माण प्रकिया अपनाना आवश्यक है इससे उद्योगों कों भारी निवेश करना आवश्यक हो गया है।

1. उद्देश्य :–

प्रदेश के औषधि एवं हर्बल उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धा कर, निर्यात कर सके इस हेतु उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये यह योजना लागू की जा रही है। योजना का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन Good manufacturing Practices प्रमाण पत्र प्राप्त करने से उद्योगों की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सहायता प्रदान करना है।

2 योजनान्तर्गत दी जाने वाली सहायता :–

प्रदेश की जिन औषधि एवं हर्बल इकाईयों द्वारा 01.04.2004 के पश्चात् विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्ड के अनुरूप (गुड मेन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस) प्रमाण–पत्र नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्राप्त किया जायेगा। वह इस योजना के अंतर्गत केवल लघु उद्योग इकाईयां पात्र होंगी। इकाईयों द्वारा इस प्रमाण–पत्र को प्राप्त करने में निम्न मदों पर हुए व्यय मान्य होंगे :–

1. तकनीकी सलाह सेवा लेने पर हुआ व्यय
2. प्राप्त सलाह/सेवा अनुसार उपकरण केलीब्रेशन एवं गुणवत्ता नियंत्रण हेतु क्रय किये गये उपकरणों पर हुआ व्यय।
3. फार्माकोपिया जैसे IP/BP/USP क्रय पर हुआ व्यय।
4. कर्मचारियों के तकनीकी प्रशिक्षण पर हुआ व्यय।

उपरोक्त मदों में किये गये कुल व्यय पर 50 प्रतिशत अनुदान अथवा अधिकतम एक लाख रूपया जो भी कम हो, की पात्रता होगी।

3. पात्रता व शर्तें :–

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदण्डों के अनूरूप Good manufacturing Practices [WHO-GMP] प्रमाण–पत्र होने के एक वर्ष के अन्दर आवेदन निर्धारित

प्रारूप में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं रोजगार को आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

2. ड्रग लाइसेंस वैध होना चाहिये।

3. प्रदेश की जिन इकाईयों द्वारा 01.04.2004 के पश्चात् WHO-GMP (गुड मेन्युफेक्चरिंग प्रेक्टिसेस) प्रमाण–पत्र नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा प्राप्त किया जायेगा। वह इस योजना के अंतर्गत पात्र होगी।

4. इकाई जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से लघु उद्योग के रूप में स्थायी पंजीकृत होनी चाहिये।

4. आवश्यक दस्तावेज :–

निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :–

1. WHO-GMP प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. व्यय के संबंध में चार्टर्ड एकॉउटेंट के प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
3. उद्योग विभाग के स्थायी पंजयीन प्रमाण–पत्र की प्रति।
4. वैध ड्रग लाइसेंस की प्रति।
5. विभिन्न मदों में हुए व्यय की रसीदों की प्रति।

5. अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया :–

आवेदक इकाई निर्धारित प्रारूप में उपरोक्त दस्तावेजों सहित महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग एवं रोजगार केन्द को आवेदन प्रस्तुत करेगी। प्राप्त आवेदन का परीक्षण जिला व्यापार उद्योग एवं रोजगार केन्द्र द्वारा तीन कार्य दिवसों में किया जायेगा। इकाई द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का सत्यापन महाप्रबंधक/प्रबंधक/सहायक प्रबंधक द्वारा इकाई को आगामी सात कार्य दिवसों में एक निश्चित् दिनांक को अवगत कराया जायेगा। निश्चित् दिनांक को इकाई के स्वामी/भागीदारी/प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जायेगा। प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर महाप्रबंधक द्वारा तीन कार्य दिवसों में प्रकरण पर स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय किया जाकर तद्नुसार इकाई को अवगत कराया जायेगा। प्रकरण अस्वीकृत होने की दशा में संबंधित उद्योग को कारण सहित अवगत कराना आवश्यक होगा।

महाप्रबंधक द्वारा स्वीकृत राशि की मांग तत्काल उद्योग संचालनालय, म0प्र0 से की जावेगी तथा बजट प्राप्त होने पर प्रथम स्वीकृत इकाई को प्रथमतः राशि का आवंटन आहरण कर दिया जायेगा।

6. स्वीकृतकर्ता अधिकारी :–

संबंधित जिले का महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र